निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1947 (श0)

(सं0 पटना 241) पटना, वृहस्पतिवार, 26 फरवरी 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

26 फरवरी, 2026

सं० वि०स०वि०–06/2026–**1120**/वि०स०––''बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–26 फरवरी, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-11/2026]

बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026

कतिपय कानूनों में संशोधन करके अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने और जीवन जीने और व्यापार करने में आसानी के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएः-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।- (1) **इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम**, 2026 **है ।**

(2) **यह उस तारीख को लागू होगा जिसे बिहार सरकार ऑफिशियल गजट में अधिसूचना के ज़रिए तय करेगी; और शेड्यूल में बताए गए अलग-अलग कानूनों से जुड़े बदलावों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की जा सकती हैं।**

2. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।- **अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित अधिनियमों में, अनुसूची के कॉलम (5) में निर्दिष्ट सीमा और तरीके तक, यथासंभव संशोधन किया जाता है।**

3. जुर्मानों और शास्तियों का पुनरीक्षण।- **अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों की विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित जुर्माना और दंड को, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, संबंधित न्यूनतम राशि के दस प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा।**

4. व्यावृति।- **इस अधिनियम द्वारा किसी विधान के संशोधन या निरसन का प्रभाव उस किसी अन्य विधान पर नहीं होगा जिसमें संशोधित या निरस्त किए गए विधान को लागू किया गया, समाहित किया गया या संदर्भित किया गया है; और यह अधिनियम किसी भी ऐसे अन्य विधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरस्त किए गए, विधान को लागू किया गया, समाहित किया गया या संदर्भित किया गया हो; और यह अधिनियम पहले से किए गए या भुगताए** किए **गए किसी भी कार्य या घटना के वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों को, या पहले से प्राप्त, अर्जित या उत्पन्न हुए किसी भी अधिकार, शीर्षक, दायित्व या देयता को, या उसके संबंध में किसी भी उपाय या कार्रवाई को, या किसी ऋण, दंड, दायित्व, देयता, दावा या मांग से या उससे किसी भी रिहाई या विमोचन को, या पहले से प्रदान की गई किसी भी क्षतिपूर्ति को, या किसी भी भूतपूर्व कृत्य या वस्तु के प्रमाण को प्रभावित नहीं करेगा;**

और यह अधिनियम किसी भी विधि के सिद्धांत या नियम, या स्थापित अधिकार क्षेत्र, वाद-दाखिल करने के स्वरूप या तरीके, प्रथा या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रचलन, रिवाज, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, भले ही उन्हें क्रमशः किसी भी प्रकार से किसी ऐसे विधान द्वारा, जिसके द्वारा इस अधिनियम में संशोधन या निरसन किया गया है, या उसमें से, या उसमें या उससे मान्यता प्राप्त या व्युत्पन्न किया गया हो;न ही इस अधिनियम द्वारा किसी विधान के संशोधन या निरसन से कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र, कार्यालय, प्रथा, देयता, अधिकार, स्वामित्व, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, उपयोग, प्रथा, प्रक्रिया या अन्य कोई विषय या वस्तु जो वर्तमान में अस्तित्व में या प्रवर्तन में नहीं है, पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित होगा।

5. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।-

(1) **यदि इस अधिनियम द्वारा संशोधित अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों: बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।**

(2) **उपधारा** (1) **के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा और विधान परिषद के समक्ष रखा जाएगा।**

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1860	21	**सोसायटी पंजीकरण अधिनियम**, 1860	**धारा** 11 **में,** **"उसी अभियोजन के अधीन होगा, और, दोषी सिद्ध होने पर, उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, जैसे कोई गैर-सदस्य व्यक्ति समान अपराध के संबंध में दंडित किया जाता है", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया** जाएगा**, अर्थात्:** - **"किसी भी कृत्य, चूक, या तकनीकी या प्रक्रियात्मक अनियमितता, जो सोसायटी के प्रबंधन या मामलों से संबंधित हो और जो आपराधिक या धोखाधड़ीपूर्ण प्रकृति की न हो, के मामले में, सोसायटी के लागू कानूनों, नियमों या उप-नियमों के तहत निर्धारित उपयुक्त दीवानी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ही उत्तरदायी होगा, बिना लागू दीवानी कानूनों के तहत वसूली के अधिकार को प्रभावित किए।:** **बशर्ते कि जहाँ कोई सदस्य या पदाधिकारी जानबूझकर सोसायटी की संपत्ति या परिसंपत्तियों की चोरी करता है, गबन करता है, हड़पता है, नष्ट करता है, या उनमें क्षति या हानि पहुँचाता है, तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, जैसे कि सोसायटी का सदस्य न होने वाला कोई व्यक्ति समान अपराध के लिए कानून के अनुसार दंडित किया जाता है।**
2.	2007	11	**बिहार नगरपालिका अधिनियम**, 2007	**1. धारा 314, भवन योजना की स्वीकृति, के लिए शब्दों:** **" कोई भी व्यक्ति किसी स्थायी प्रकृति की इमारत या संरचना का निर्माण या निर्माण शुरू नहीं करेगा या किसी मौजूदा इमारत के निर्माण से संबंधित कोई कार्य नहीं करेगा या किसी मौजूदा इमारत में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि भवन योजना को सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले नियमों और उप-नियमों के तहत नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।** **बशर्ते कोई भी वास्तुकार तब तक किसी भवन योजना**

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				को अनुमोदित न करे जब तक कि वह राज्य सरकार/नगरपालिका द्वारा बनाए गए भवन उप-नियमों के अनुरूप न हो। यह भी प्रावधान है कि यदि भवन योजना भवन उप-नियमों का उल्लंघन या विचलन करती है, तो इस अधिनियम के तहत उठाए जा सकने वाले किसी भी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, पंजीकृत वास्तुकार, बिल्डर और अनुमोदन प्राधिकारी के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाएगा तथा उन्हें पचास हजार रुपये जुर्माना अथवा एक वर्ष तक की कारावास की सजा या दोनों का दंड दिया जाएगा।'' निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थायी प्रकृति की इमारत या संरचना का निर्माण या निर्माण आरंभ करने, भवन निर्माण से संबंधित कोई कार्य करने, किसी मौजूदा भवन में कोई परिवर्तन, अतिरिक्त या संशोधन करने का कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि भवन योजना सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों और उप-नियमों के अंतर्गत नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो। (2) यदि भवन योजना भवन उप-नियम का उल्लंघन या विचलन करती है, तो इस अधिनियम के तहत उठाए जा सकने वाले किसी भी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, पंजीकृत वास्तुकार, अभियंता, संरचनात्मक अभियंता, नगर नियोजक, पर्यवेक्षक और बिल्डर दो लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी होंगे। 2. धारा 325 में, अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में भवन का निर्माण, शब्दों: " (1) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या तत्कालीन प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो जिम्मेदार है, स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, किसी नई इमारत या किसी भी इमारत की अतिरिक्त मंजिल या मंजिलों का ऐसा निर्माण करता है, या ऐसा करने का प्रयास करता है, या साजिश रचता है, और खतरे में

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				डालता है, या खतरे में डालने की संभावना है, मानव जीवन, या नगरपालिका की किसी संपत्ति को, जिससे जल-आपूर्ति, निकासी या सीवर या फुटपाथ यातायात बाधित हो जाता है या बाधित होने की संभावना हो या जिससे आग का खतरा पैदा होने की संभावना हो, खतरे में डालता है या डालने की संभावना पैदा करता है, तो उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास की सज़ा, जो पाँच वर्ष तक की हो सकती है, और साथ ही पचास हज़ार रुपये तक का जुर्माना भी होगा। (2) **उपधारा** (1) **के अंतर्गत अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता,** 1973 **की परिभाषा के अंतर्गत संज्ञेय होगा।** **निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:** " (1) **इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो जिम्मेदार है, स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, किसी नई इमारत या किसी भी इमारत की अतिरिक्त मंजिल या मंजिलों का ऐसा निर्माण करता है, या करने का प्रयास करता है, या साजिश रचता है, और खतरे में डालता है, या डालने की संभावना है, मानव जीवन, या नगरपालिका की किसी संपत्ति को, जिससे जल आपूर्ति, जल निकासी या सीवर या फुटपाथ यातायात बाधित हो या बाधित होने की संभावना हो या जिससे आग का खतरा पैदा होने की संभावना हो, खतरे में डालता है या डालने की संभावना रखता है, तो उसे दो लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।** (2) **उप-धारा (**2) - **को हटाया** जाएगा**।** **3. धारा 347** ऐसे परिसरों के उपयोग को रोकने की शक्ति, जिनका उपयोग अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करते हुए किया गया है में शब्दो के लिए– ''(1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी परिसर का उपयोग, इस अधिनियम के अधिन अनुज्ञप्ति के बिना अथवा इसके लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तो की अनुरूपता से भिन्न किया जा रहा है तो वह किसी ऐसे प्रयोजनार्थ ऐसे परिसरों के उपयोग को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपाय से रोका जा सकता है, जो वह आवश्यक समझें।''

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा ''यदि मुख्य नगर अधिकारी की राय है कि किसी परिसर का उपयोग इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति के बिना या उस संबंध में दिये गये अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप न होकर गैर–आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे किसी भी परिसर का उपयोग ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपायों से रोक सकता है, जिन्हे वह आवश्यक समझे।'' **और शब्दों** **"(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी परिसर का उपयोग करना जारी रखता है, तो मुख्य नगर अधिकारी, इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के बावजूद, धारा 367 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर निरंतर जुर्माना लगा सकता है।"** **निम्नलिखित का लोप कर दिया जाएगा:** ''**धारा** 347 **की उपधारा** (2) **।** '' **4. धारा 426, विनियम के उल्लंघन का दंड, (1)** **इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया कोई भी विनियम यह प्रावधान कर सकता है कि उसके उल्लंघन के लिए दंडनीय होगा- शब्दों के लिए**: **(क) दो हजार पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से, या** **(ख) दो हजार पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से और, निरंतर उल्लंघन की स्थिति में, पहले ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से, अथवा** **(ग) प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक के जुर्माने से, जब तक यह उल्लंघन जारी रहता है, उस व्यक्ति द्वारा, जो विनियम का उल्लंघन कर रहा है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य अधिकारी, जिसे इस संबंध में विधिवत अधिकृत किया गया हो, से ऐसे उल्लंघन को बंद करने के लिए नोटिस प्राप्ति के बाद।** **निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:** " **धारा** 426. **बार-बार होने वाले और लगातार उल्लंघन के लिए दंड-**

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(1) **इस अधिनियम में अंतर्निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति पर अनुभाग** 314, 325, 432, 433, **और** 434 **के अंतर्गत किसी उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है, और वह व्यक्ति बाद में वही उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाया जाएगा।** (2) **उप-धारा** (1) **में संदर्भित बढ़ी हुई दंड राशि, धारा** 314, 325, 432, 433, 434 **के तहत विशिष्ट उल्लंघन के लिए लगाई जाने वाली दंड राशि और प्रत्येक बाद के उल्लंघन के लिए** 50,000 **रुपये की अतिरिक्त राशि होगी।** परन्तु की यदि कोई व्यक्ति उप धारा–(1) में निर्दिष्ट एक से अधिक धाराओं के तहत एक साथ या एक के बाद एक उल्लंघन करता है तो धारा के लिए बढ़ी हुई जुर्माना लागू होगी और प्रत्येक धारा के लिए गणना स्वतंत्र रूप से की जाएगी। **5. धारा 429 (ख) (i, ii) दंडनीय कुछ अपराधों के लिए, शब्दों:** **"दंडनीय होगा -** (i) **जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, या कारावास से, जो छह महीने तक हो सकता है, या दोनों से।** (ii) **किसी निरंतर उल्लंघन या विफलता की स्थिति में, पहले ऐसे उल्लंघन या विफलता के लिए दोषसिद्धि के बाद, जब तक ऐसा उल्लंघन या विफलता जारी रहती है, तब तक के प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक हो सकता है, बशर्ते कि यह अधिकतम पाँच हजार रुपये तक ही हो।"** **निम्नलिखित को** विलोपित की जाएगी: "**धारा** 429" – **पूरी धारा** विलोपित की जाएगी। **6. धारा 432, "भवन को उस उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए लगाने पर जुर्माना** **जिसके लिए उपधारा** (1) **के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है। – जब किसी परिसर का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा धारा** 398 **की उपधारा** (1) **के तहत अनुदानित अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए या अस्तबल या पशु-शेड या गौशाला के रूप में किया जाता है या करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसा व्यक्ति, उस पर लागू होने वाली

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				किसी अन्य दंडनीय कार्रवाई के अधीन रहते हुए, ऐसे जुर्माने का उत्तरदायी होगा जो, ईंट-पत्थर की इमारत के मामले में, दो सौ पचास रुपये तक और झोपड़ी के मामले में, पच्चीस रुपये तक, और ऐसे उपयोग की निरंतरता की स्थिति में, एक और जुर्माने के लिए, जो ईंट-पत्थर की इमारत के मामले में, पचास रुपये तक और झोपड़ी के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच रुपये तक हो सकता है, जब तक कि ऐसा उपयोग जारी रहता है।" निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: भवन का उस उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए जुर्माना जिसके लिए अनुज्ञप्ति दिया गया है। – जब किसी परिसर का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा धारा 398 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए अनुज्ञप्ति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए या अस्तबल या पशु-शेड या गौशाला के रूप में किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को, उस पर लागू किसी अन्य दंड के प्रवर्तन के बिना, एक लाख रुपये का और झोपड़ी के मामले में पचास हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का दायित्व होगा। 7. धारा 433 में , ठेकेदार को बाधा पहुँचाने के लिए दंड, शब्दों के लिए: " जो भी कोई ऐसे व्यक्ति को बाधित करेगा या परेशान करेगा जिसके साथ नगरपालिका ने इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध किया है , उसे दोषसिद्धि पर दो महीने तक की कारावास या दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा । निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: “ जो कोई भी ऐसे व्यक्ति को बाधित करता है या परेशान करता है, जिसके साथ नगरपालिका ने इस अधिनियम के तहत किसी कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध किया है, वह एक लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा” 8. धारा 434 में , नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना, इन शब्दों के लिए: " कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की किसी भी

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा । नगर पालिका की किसी भी संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को, दोषी पाए जाने पर, एक हज़ार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा । निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: " कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका की किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसे एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। " **9.** धारा 436 में , जुर्माना न देने पर कारावास की सजा , निम्नलिखित शब्दों के लिए: " ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध जुर्माने या कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है और किसी व्यक्ति को जुर्माना भरने के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है, वहां ऐसा न्यायालय यह निर्देश देने के लिए सक्षम होगा कि जुर्माना न भरने पर, वह व्यक्ति ऐसे कार्यकाल के लिए कारावास या, जैसा भी मामला हो, छह मास से अधिक नहीं के ऐसे अतिरिक्त कार्यकाल को भुगतेगा,जैसा न्यायालय नियत करे । निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: " (1) संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को अवसर प्रदान किए बिना धारा 314, 325, 432, 433 और 434 के अंतर्गत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। (2) उप-धारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना संबंधित व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर चुकाया जाएगा। (3) धारा 314, 325, 432, 433 तथा 434 के अन्तर्गत लगाया गया जुर्माना इस अधिनियम की धारा 155 के उपबन्धों के अन्तर्गत उपयोगकर्ता प्रभार के समान वसूल किया जाएगा। (4) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने से व्यथित है, आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर धारा 329 के अन्तर्गत गठित नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है । **10.** धारा 437 में , सामान्य दंड , शब्दों के लिए:

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				" जो कोई भी, किसी ऐसे मामले में जिसमें इस अधिनियम में सज़ा का साफ़ तौर पर प्रावधान नहीं है, इसके किसी भी प्रावधान के तहत जारी किसी नोटिस या आदेश या माँग का पालन करने में असफल रहता है, या इस एक्ट के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे एक हज़ार रुपये तक के जुर्माने से सज़ा दी जाएगी, और, लगातार उल्लंघन के मामले में, पहले दिन के बाद हर दिन के लिए सौ रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से, जिसके दौरान वह ऐसी अवरोध या उल्लंघन में लगा रहता है, सज़ा दी जाएगी।" निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: "दंड का आवधिक संशोधन: — (1) उप-नियमों के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित शास्तियों में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति , विहित शास्ति की राशि के दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । (2) इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों, इसके सहायक नियमों तथा इसके अधीन बनाए गए उपनियमों के अंतर्गत उल्लेखित अद्यतन दण्डों का विवरण मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में नगरपालिका से सूचना प्राप्त होने पर, यथाउपबंधित समयावधि के भीतर संधारित किया जाएगा। **11.** धारा 440 , अपराधों का शमन, में शब्दों के स्थान पर: "(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी या यदि नगरपालिका द्वारा इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो तो नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका अभियंता या नगरपालिका का कोई अन्य अधिकारी कार्रवाई शुरू होने के पूर्व या बाद में और विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर किसी अपराध का शमन कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा शमनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।" (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				नियम या विनियमन द्वारा दंडनीय कोई अपराध समझौता योग्य नहीं होगा यदि ऐसा अपराध धारा 20 में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से जारी किसी नोटिस, आदेश या अधियाचना का अनुपालन करने में विफलता के कारण किया जाता है, जब तक कि यथास्थिति ऐसे नोटिस, आदेश या अधियाचना का, जहां तक ऐसा अनुपालन संभव हो, अनुपालन नहीं कर लिया जाता है। (3) जहां किसी अपराध का शमन कर दिया गया है, अपराधी को, यदि वह हिरासत में है, मुक्त कर दिया जाएगा और इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। निम्नलिखित को छोड़ दिया जाएगा: धारा 440 – पूरी धारा हटा दी जाएगी।
3 .	2012	20	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012	1. धारा 41, अनधिकृत विकास या विकास योजना के अनुपालन के बिना उपयोग के लिए दंड। - , शब्दों के लिए: " दोषी को साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी, अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा, और निरंतर अपराध की स्थिति में, प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी दण्डस्वरूप लगाया जाएगा। (2) कोई भी व्यक्ति जो धारा 33, धारा-34 और धारा-35 के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना, या जिस अवधि के लिए उपयोग की अनुमति दी गई है उसके बाद, या जिन शर्तों के तहत ऐसे उपयोग की निरंतरता की अनुमति दी गई है उनका अनुपालन किए बिना, किसी विकास योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है या उपयोग करने की अनुमति देता है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद की सजा दी जाएगी, या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा और निरंतर अपराध के मामले में, पहले

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अपराध के लिए दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। **निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:** **"पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।** (2) **कोई भी व्यक्ति जो धारा**-33, **धारा**-34 **तथा धारा**-35 **के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किए बिना विकास योजना के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन का उपयोग करना जारी रखता है या करने देता है या जिस अवधि के लिए उपयोग की अनुमति दी गई है, उसके पश्चात ऐसे उपयोग को जारी रखता है या जिन नियमों और शर्तों के अन्तर्गत ऐसे उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी गई है, उनका अनुपालन किए बिना ऐसा करता है, तो वह दस लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।** **2.** और निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी**:** **41**क**. दंड लगाना। —** (1) **अगर योजना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी** (CEO) **को लगता है कि किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के किसी प्रोविजन, या इसके तहत बनाए गए किसी नियम,विनियमन, या उपविधि का उल्लंघन किया है, तो उस व्यक्ति को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा, जिस पर उल्लंघन करने का आरोप है।** (2) **मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लगाई गई कोई भी शास्ति , संबंधित व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश पारित करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर चुकाई जाएगी।** (3) **इस धारा के तहत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति से परेशान कोई भी व्यक्ति**, 30 **दिनों के अंदर, धारा** 79 **के तहत बने अधिकरण में अपील कर सकता है।** (4) इस अधिनियम के अधीन लगाया गया कोई भी जुर्माना या राशि, जो निर्धारित अवधि के भीतर जमा नही की जायगी उसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायगी।

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. धारा–42 अप्राधिकृत विकास हटाए जाने की अपेक्षा की शक्ति - , शब्दों के स्थान पर: (6) यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या उप-धारा (3) के तहत अनुमति के लिए आवेदन या अपील के निपटारे या वापस लेने के बाद ऐसी अवधि के भीतर, नोटिस या उसका उतना हिस्सा जो प्रभावी रहता है, या अपील में किए गए परिवर्तन के साथ नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो योजना प्राधिकरण- (क) नोटिस का पालन न करने पर मालिक पर मुकदमा चलाना और अगर नोटिस में ज़मीन का इस्तेमाल बंद करने की ज़रूरत हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाना जो नोटिस के खिलाफ़ ज़मीन का इस्तेमाल करता है या ज़मीन का इस्तेमाल करने देता है या करने देता है; और (ख) (i) किसी इमारत या किसी इमारत पर किए जाने वाले कार्य को गिराने या उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता वाले नोटिस के मामले में, उसे विकास होने से पहले की स्थिति में बहाल करने और अनुमति की शर्तों या संशोधित अनुमति के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, योजना प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें किसी भी इमारत या कार्य को गिराना या उसमें परिवर्तन करना या किसी भी इमारत या अन्य कार्यों को अंजाम देना शामिल है; (ii) योजना प्राधिकरण, उप-खण्ड (i) के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की लागत को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में स्वामी से वसूल कर सकेगा। (7) उप-धारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत अभियोजित कोई व्यक्ति साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से तथा अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा। जो अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात ऐसे अपराध के जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपये तक हो सकेगी।

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (6) यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या उप-धारा (3) के तहत अनुमति के लिए आवेदन या अपील के निपटारे या वापस लेने के बाद ऐसी अवधि के भीतर, नोटिस या उसका उतना हिस्सा जो प्रभावी रहता है, या अपील में किए गए परिवर्तन के साथ नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो योजना प्राधिकरण- (क) नोटिस का पालन न करने पर मालिक पर और जुर्माना लगाएगा और अगर नोटिस में ज़मीन का इस्तेमाल बंद करने की ज़रूरत हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति पर भी जो नोटिस के उल्लंघन में ज़मीन का इस्तेमाल करता है या ज़मीन का इस्तेमाल करने देता है या करने देता है; और (ख) (i) किसी इमारत या किसी इमारत पर किए जाने वाले कार्य को गिराने या उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता वाले नोटिस के मामले में, उसे विकास होने से पहले की स्थिति में बहाल करने और अनुमति की शर्तों या संशोधित अनुमति के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, योजना प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें किसी भी इमारत या कार्य को गिराना या उसमें परिवर्तन करना या किसी भी इमारत या अन्य कार्यों को अंजाम देना शामिल है; (ii) योजना प्राधिकरण, उप-खण्ड (i) के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की लागत को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में स्वामी से वसूल कर सकेगा। (7) जिस व्यक्ति पर उपधारा (6) के खण्ड (क) के अधीन जुर्माना लगाया जाता है, वह दो लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा। 4. धारा 43. अनधिकृत विकास को रोकने और पुलिस की आवश्यकता की शक्ति।- , शब्दों के स्थान पर: (3) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी नोटिस तामील होने के बाद भी, चाहे अपने लिए या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भूमि और भवन का विकास करना जारी रखता है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या पचास हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है और जब

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				गैर-अनुपालन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने के साथ जो नोटिस की तामील की तारीख के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान गैर -अनुपालन जारी रहा है। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (3) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी नोटिस दिए जाने के बाद भी, चाहे स्वयं के लिए या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भूमि और भवन का विकास करना जारी रखता है, वह दो लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा और जब उल्लंघन जारी रहता है, तो नोटिस की सेवा की तारीख के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा, जिसके दौरान गैर-अनुपालन जारी रहा है। 5. धारा 90. प्रवेश की शक्ति.- शब्दों के लिए: (3) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए सशक्त या अधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है , तो उसे छह माह तक के कारावास या दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। निम्नलिखित को विलोपित किया जाएगा: उपधारा (3) – विलोपित की जाएगी। 6. धारा–98. संविदाकार को बाधा पहुँचाने या चिन्ह् हटाने के लिए जुर्माना।- शब्दों के स्थान पर: यदि कोई व्यक्ति – (1) बोर्ड या किसी योजना प्राधिकरण द्वारा नियोजित या काम पर रखे गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ बोर्ड या योजना प्राधिकरण ने कोई अनुबंध किया हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य या किसी ऐसी बात के पालन या निष्पादन में बाधा डालता है जिसे करने के लिए वह इस अधिनियम के अधीन सशक्त है या अपेक्षित है, अथवा (2) इस एक्ट के तहत प्राधिकृत काम करने के लिए ज़रूरी किसी लेवल या दिशा को दिखाने के मकसद से लगाए गए किसी निशान को हटाता है। ऐसे लोगों को 5 हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दो महीने तक की जेल हो सकती है।

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: **यदि कोई व्यक्ति –** (1) **बोर्ड या किसी योजना प्राधिकरण द्वारा नियोजित या काम पर रखे गए किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके साथ बोर्ड या योजना प्राधिकरण ने कोई अनुबंध किया है , ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य या किसी ऐसी चीज के पालन या निष्पादन में बाधा डालता है जिसे करने के लिए वह इस अधिनियम के तहत सशक्त है या अपेक्षित है, या** **इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी स्तर या दिशा को दर्शाने के प्रयोजन के लिए स्थापित किसी चिह्न को हटाता है, तो वह एक लाख रूपये का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।** **7. धारा 104, शब्दों के स्थान पर: जुर्माना जब वसूल हो जाए तो योजना प्राधिकरण को भुगतान किया जाना है।-** **केस चलाने के संबंध में वसूले गए सभी जुर्माने संबंधित योजना प्राधिकरण को दिए जाएंगे।** **निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:** **जुर्माना वसूल होने पर उसका भुगतान योजना प्राधिकरण को किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में वसूला गया समस्त जुर्माना संबंधित योजना प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा।** **8.** और निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगीः **104 क- दंड का आवधिक संशोधन: —** **उप-नियमों के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित दंडों में , प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारित दंड की राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।**
4 .	1984	12	**बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम**, 1983	**धारा 20 की उपधारा (1) में ,** *" एक वर्ष तक के कारावास या दो हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा"* **शब्दों के**

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				स्थान पर , **निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:** *" दो हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।"* **धारा 29 की उपधारा (5) में, शब्दों के स्थान पर,** *" छह महीने तक की अवधि के कारावास या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। "* **निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:** *" दो हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है । "*
5 .	2025	4	**बिहार काष्ठ आधारित** उद्योग (**स्थापना एवं विनियमन**) **अधिनियम**, 2025	**धारा 20 को** निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा**:** **धारा** 20 (1) **काष्ठ आधारित उद्योग का संचालन एक संज्ञेय अपराध होगा।** **धारा** 20 (2) **यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या करने का प्रयास करता है या उल्लंघन में सहायता करता है, तो वह एक लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा और निरंतर उल्लंघन की स्थिति में, उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।** **परंतु यदि किसी व्यक्ति के पास काष्ठ आधारित उद्योग के लिए वैध अनुज्ञप्ति नहीं है और वह इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या करने का प्रयास करता है या ऐसा करने में सहायता करता है, तो उसे तीन महीने से एक वर्ष तक की कैद और/या** 10000/- (**दस हजार**) **रुपये से** 100000/- (**एक लाख**) **रुपये तक का जुर्माना दंड के रूप में दिया जाएगा। (एक लाख) या दोनों से।**
6.	2010	11	**बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि** प्रयोजनों **के लिए** सम्परिवर्तन) **अधिनियम**, 2010	**1. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए** सम्परिवर्तन) **अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-2 में संशोधन।-धारा-2 की उपधारा (ग) को बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण)** **उद्देश्यों) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा 2 की उपधारा** (छ) **को यथासंभव रद्द**

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				किया जाता है और उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:- "(छ) "सक्षम प्राधिकार" का मतलब है अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर से नीचे का कोई पदाधिकारी , जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित खेती की ज़मीन या उसका कोई हिस्सा आता हो, और इसमें सरकार द्वारा डेवलप और अधिसूचित किया गया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या पोर्टल भी शामिल होगा, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से और उसके अधिकार क्षेत्र में, ऑटोमैटिक स्वमूल्यांकन , शुल्क संग्रहण और परिवर्तन के लिए सिस्टम के माध्यम से जारी किए गए अनुमति या प्रमाण-पत्र जारी करने के मकसद से काम करेगा।" 2. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-3 में संशोधन।- बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-3(6) और 3(7) को विलोपित किया जाता है तथा धारा-3(3), 3(4) और 3(5) को क्रमशः निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:- "3(3) ऑटोमेटेड लैंड कन्वर्जन सिस्टम - राज्य सरकार, एक अधिसूचना के ज़रिए, एक ऑटोमेटेड लैंड कन्वर्जन सिस्टम लागू करेगी, जिसके तहत ज़मीन का मालिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या पोर्टल के ज़रिए डू-इट-योरसेल्फ (DIY) मोड में खेती की ज़मीन को गैर-खेती के कामों के लिए बदल सकता है। "3(4) इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :- (क) भूमि अभिलेखों से भूमि खंडों का स्व-चयन; (ख) आवेदक द्वारा स्व-घोषणा; (ग) निर्धारित रूपांतरण शुल्क का भुगतान, और (घ) सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक प्रमाण-पत्र जारी करना।'' "3(5) इस प्रणाली के अंतर्गत जारी की गई कोई अनुमति या प्रमाण–पत्र इस अधिनियम

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा तुरन्त प्रदान किया गया माना जाएगा । बशर्ते कि ऐसी अनुमति या प्रमाण पत्र 60 (साठ) दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन के अधीन होगा और बिना किसी मुआवजे के रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि यह पाया जाता है कि अनुमति या प्रमाण पत्र गलत तथ्य प्रस्तुत करके, गलत बयानी करके, तथ्यों को दबाकर, पात्रता की शर्तों या धारा-5(2), 5(3) और पर्यावरण, हवाई अड्डों, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से संबंधित नियामक प्राधिकरणों की किसी भी अन्य चित्रित शर्तों का उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, इस कृत्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।'' **3. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-6 में संशोधन।- बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम**, 2010 (**बिहार अधिनियम** 11, 2010) **की धारा** 6 **की उपधारा** 5(ii) **के पश्चात् एक नई उपधारा** 5(iii) **जोड़ी जाएगी** :- "5(iii) **स्वचालित भूमि रूपांतरण प्रणाली के अंतर्गत कोई भी रूपांतरण जो गलत तथ्य प्रस्तुत करके, गलत बयानी करके, तथ्यों को दबाकर, पात्रता की शर्तों या धारा**-5(2), 5(3) **और पर्यावरण, हवाई अड्डों, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से संबंधित नियामक प्राधिकरणों की किसी भी अन्य चित्रित शर्तों का उल्लंघन करके प्राप्त किया जाता है, उसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए अनधिकृत रूपांतरण माना जाएगा ।"**
7.	1962	12	**बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण** तथा अधिशेष भूमि अर्जन) **अधिनियम**, 1961	**1. अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत निम्नलिखित उपधारा (घघ) तथा (ण) जोड़ी जाएंगी।-** **(घघ) " बागान भूमि " से तात्पर्य किसी ऐसी भूमि से है जिसका उपयोग मुख्यतः बारहमासी आधार पर चाय, कॉफी, रबड़, कोको, बांस, इमारती काष्ठ , फलोद्यान, अन्य फलदार वृक्ष, औषधीय-जड़ी-बूटी वाले पौधे, सुगंधित पौधे या कोई अन्य ऐसे पौधे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत और अधिसूचित किया जाए, के**

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				उत्पादन के लिए किया जाता है। (ण) " कृषि-औद्योगिक परियोजना भूमि" से तात्पर्य किसी भूमि से है, जिसका उपयोग एकीकृत कृषि या उससे सम्बद्ध क्रियाकलापों, जिनमें वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन, प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन शामिल हो, जैसे मखाना उत्पादन, मत्स्य पालन और अन्य ऐसी क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत और अधिसूचित किया जाए, के लिए किया जाता हो । 2. अधिनियम की धारा-4ख के पश्चात निम्नलिखित धारा-4ग एवं 4घ जोड़ी जाएगी।- 4ग. राज्य सरकार द्वारा "प्लांटेशन लैंड" के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित की गई ज़मीन को अधिनियम की धारा-4 के तहत दिए गए सीलिंग एरिया से छूट दी जाएगी, जो 20.234 हेक्टेयर के बराबर पचास एकड़ तक होगा। 4घ. राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत और अधिसूचित की गई एग्रो-इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के तहत आने वाली ज़मीन को अधिनियम की धारा -4 के तहत दिए गए सीलिंग एरिया से छूट दी जाएगी, जो 40.469 हेक्टेयर के बराबर सौ एकड़ तक होगा।
8 .	2007	4	बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006	1. धारा 20 में, — (क) उपधारा (1) में *"पांच हजार रुपए तक का जुर्माना" शब्दों के स्थान पर* "दस हजार रुपए तक का जुर्माना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ख) उपधारा (2) में "छह माह तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपए तक का जुर्माना *या दोनों" शब्दों के स्थान पर* "बीस हजार रुपए तक का जुर्माना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; **2. धारा 22 में,—** (क) उपधारा (1) में, *"अपने विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और तदनुसार दंडित किया जा सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "केवल दंड का उत्तरदायी होगा, जैसा कि विहित किया जा सकेगा"* शब्द रखे जाएंगे । प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) उप धारा (2) में, *"उस अपराध का दोषी भी समझा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी और*

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				दंडित किया जा सकेगा" **शब्दों के स्थान पर,** ***"उस अपराध का दोषी भी समझा जाएगा और केवल दंड का भागी होगा, जैसा कि विहित किया जा सकेगा" शब्द*** **प्रतिस्थापित किए जाएंगे।**

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश संवर्धन एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से राज्य सरकार सतत् रूप से व्यवसायिक वातावरण को सरल, पारदर्शी एवं विश्वास–आधारित बनाने के लिए संकल्पित है।

राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने, कालविरूद्ध दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त करने, लघु एवं तकनीकी प्रकृति के अपराधों के अपराधीकरण को समाप्त करने तथा विश्वास–आधारित अनुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से **बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026** के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।

(डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक–26.02.2026

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 241-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in